

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-01012022-232338
SG-DL-E-01012022-232338असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 419]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 2021/पौष 9, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 347
No. 419]	DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 2021/PAUSHA 9, 1943	[N. C. T. D. No. 347

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

(स्थानीय निकाय निदेशालय)

अधिसूचना

दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2021

फा. सं. 22/13/2000/श.वि./पा.फाई./3799-3811.-दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 347क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा श्री पीताम्बर दत्त, दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिये प्रतिनियुक्ति आधार पर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगम की क्षेत्रीय सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा गठित अपीलीय न्यायाधिकरण की पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

श्री प्रवीण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT**(DIRECTORATE OF LOCAL BODIES)****NOTIFICATION**

Delhi, the 30th December, 2021

F. No. 22/13/2000/UD/PF/3799-3811.—In exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 347A of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints **Sh. Pitamber Dutt**, an officer of the Delhi Higher Judicial Services, on deputation basis for a period of one year with effect from the date of Notification, as Presiding Officer of Appellate Tribunal, constituted by the Government for the areas falling within the territorial limits of North, South and East Delhi Municipal Corporation of the NCT of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SH. PRAVEEN GUPTA, Addl. Chief Secy.